न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, दुमका

नामान्तरण अपील वाद संख्या–18 / 19–20

रंजन कुमार पिता–द्वारिका प्रसाद साह, मो0–सनसाईन गली दुमका

वनाम

अंचल अधिकारी रानेश्वर एवं अन्य

आदेश की कम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी के साथ
1	2	3
28.7.21	प्रस्तुत नामान्तरण अपील वाद सं0–18 / 19–20 में रंजन कुमार पिता–द्वारिका प्रसाद साह, मो0–सनसाईन गली दुमका के द्वारा अंचल अधिकारी, रानेश्वर एवं कौशल्या राय, पति–धन्नंजय राय, ग्राम–मुरगुनी, मो0–मानिकडीह, जिला–दुमका के विरुद्ध नामान्तरण अपील वाद दायर किया गया है जो अंचल अधिकारी, रानेश्वर के नामान्तरण वाद सं0–42 / R 27 19–20 में पारित आदेश दिनांक–08.07.2019 से संबंधित है। प्रस्तुत वाद मौजा–मुरगुनी दाग सं0–37, रकवा–0 एकड़ 34 डि0 से संबंधित है। अपीलार्थी का कहना है कि प्रश्नगत भूमि उनके पूर्वज डोमन साह द्वारा विक्रेतागण चन्द्रमोहन सिंह एवं गोपाल सिंह से निबंधित विक्रय पत्र सं0–427 / 1932 एवं 636 / 1943 द्वारा क्रमशः रकवा 10 कट्ठा 6 धूर एवं 10 कट्ठा वर्ष 1932 एवं 1943 में खरीदा गया है। इस संदर्भ में अपीलार्थी द्वारा अंचल अधिकारी, रानेश्वर के नामान्तरण वाद सं0–42 / R 27 / 19–20 में पारित आदेश दिनांक–08.07.2019 के विरुद्ध यह वाद दायर किया गया है। प्रतिवादी सं0–2 कौशल्या राय, पति–धनंजय राय एवं प्रतिवादी सं0–4 मनभरण राय, पिता स्व0 खुदीराम सिंह ने अपना–अपना जवाब दाखिल किया है। मनभरण राय, पिता–खुदीराम सिंह प्रश्नगत भूमि के विक्रेता चन्द्रमोहन सिंह के पुत्र है। मनभरण राय ने प्रश्नगत भूमि को निबंधित केवाला सं0–88 / 72 दिनांक–25.02.2019 द्वारा कौशल्या राय, पति–धन्नंजय राय को बिकी किया है। अंचल अधिकारी, रानेश्वर नामांतरण वाद सं0–42 / R 27 / 19–20 दिनांक–10.06.2019 द्वारा नामांतरित, मालगुजारी का भुगतान एवं दखल में है। अपीलार्थी या उनके पूर्व प्रश्नगत भूमि पर कभी भी दखल में नहीं रहे हैं। अंचल अधिकारी रानेश्वर के पत्रांक–286, दिनांक–06.04.2021 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदिका कौशल्या राय पति–धन्नंजय राय, ग्राम–मुरगुनी में नामान्तरण वाद सं0–42 / R 27 19–20 के द्वारा आनॅलाइन आवेदन किया गया है जिसमें राजस्व उपनिरीक्षक / निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि जमाबंदी नं0–02 दाग नं0–37 रकवा–01–00–12 धुर भूमि खतियानी रैयत अमर सिंह वो राधानाथ सिंह, पिता–दिगम्बर सिंह के नाम से दर्ज है। आवेदिका	

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी के साथ
1	2	3
	प्रश्नगत भूमि निबंधन कार्यालय दुमका के डीड सं0–72 दिनांक–25.02.2019 के द्वारा क्रय किया है। जिसमें आवेदिका का शांतिपूर्वक दखल है। जिसके कारण आवेदिका को दाखिल खारिज हेतु स्वीकृति कर उनके नाम से नामान्तरण किया गया है। विद्वान अधिवक्ता के बहस को सूना। अभिलेख में उपलब्ध दस्तावेजों एवं अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि अंचल अधिकारी रानेश्वर के नामान्तरण वाद सं0–42/R 27 19–20 आवेदिका के द्वारा क्रय किये गये जमीन निबंधन कार्यालय दुनका के डीड सं0–72 दिनांक–25.02.2019 के आधार पर किया गया है। प्रस्तुत वाद स्वत्व से संबंधित है। उभय पक्ष सक्षम न्यायालय में जा सकते है। इसी निदेश के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। 28.7.2021 भूमि सुधार उपसमाहर्ता दुनका। 28.07.2021 भूमि सुधार उपसमाहर्ता दुमका।	

Digitally signed by BINAY MANISH R LAKRA
Date: 2021.10.06 12:30:30 +05:30
Location: 192.168.1.112